



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19.09.2024

थाना बाबरी पुलिस द्वारा युवती से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा युवती से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में पीडिता द्वारा दिनांक 17.09.2024 को थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. ईश्वर पुत्र पालेराम निवासी बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2. हे0का0 सुधीर गिरी थाना बाबरी जनपद शामली।

3. का0 भारत कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 250 ग्राम चरस बरामद:-

आज दिनांक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, अभियुक्त दानिश के कब्जे से अवैध 120 ग्राम चरस व अभियुक्त सलमान के कब्जे से अवैध 130 ग्राम चरस बरामद हुयी है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.सलमान पुत्र शौकीन निवासी मौहल्ला शंकराचार्य थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2.दानिश पुत्र लियाकत निवासी ग्राम माल्हीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 250 ग्राम चरस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 श्री महिपाल सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।
- 3.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 4.का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।
- 5.का0 जयपाल थाना कांधला जनपद शामली ।
- 6.का0 गीतम सिंह थाना कांधला जनपद शामली ।



थाना थाना बाबरी व महिला थाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 19.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी व महिला थाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.पदम सिंह सैनी पुत्र श्रीपाल निवासी बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।
- 2.अमन पुत्र शहजाद निवासी निकट मामीन मस्जिद थाना बागपत जनपद बागपत।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आयुध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,00/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 1999 में अभियुक्त नाथी पुत्र जयसिंह निवासी भडी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 73/274/99 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.09.2024 को माननीय न्यायालय CJSJ/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5,00/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. नाथी पुत्र जयसिंह निवासी भडी थाना झिंझाना जनपद शामली

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI